Writers Crew International Research Journal

ISSN: 3048-5541Online

WRITERS CREW INTERNATIONAL RESEARCH

JOURNAL

अमेरिका और भारत में संवाद: एक तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. अमित कुमार उपाध्याय1 और नागेंद्र पांडे2

सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, डीडीयू विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, डीडीयू विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

Writers Crew International Research Journal

ISSN: 3048-5541Online

सारांश: यह शोध कार्य भारत और अमेरिका में संवाद के तुलनात्मक अध्ययन पर केंद्रित है। यह शोध पत्र भारत और अमेरिका की संवैधानिक स्थिति का विश्लेषण करता है। अमेरिका और भारत दोनों के पास लिखित संविधान है, जिसके आधार पर एक संघीय राजनीतिक संरचना स्थापित की गई है और दोनों देशों के भीतर संघीय सरकारें काम कर रही हैं। दोनों संविधानों ने अपने-अपने देशों की बढ़ती सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आवश्यकताओं और मांगों को पूरा करने के लिए संविधान में संशोधन करने का प्रावधान किया है। आम तौर पर, अमेरिकी संविधान को एक मॉडल के रूप में मानकर भारतीय संविधान की प्रकृति की जांच की जाती है और उस संदर्भ में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि भारत का संविधान अमेरिकी संवैधानिक योजना से अलग है, इसलिए इसे शुद्ध संविधान नहीं माना जा सकता है। अमेरिकी संविधान केन्द्राभिमुख शक्तियों का परिणाम है, यानी अमेरिका में संघीय सरकार कुछ स्वतंत्र राज्यों द्वारा बनाई गई थी। इसलिए, राज्यों के लिए यह स्वाभाविक था कि वे केंद्रीय सरकार को न्यूनतम शक्तियाँ दें, जिसे वे स्वयं जन्म दे रहे थे, और अधिकतम शक्तियाँ अपने पास रखें। इसके विपरीत भारत में संघीय सरकार केन्द्राभिमुख शक्तियों द्वारा स्थापित की गई थी। इसलिए, केन्द्र सरकार के लिए अपने पास अधिक शक्तियाँ रखना स्वाभाविक था। यह शोधपत्र दोनों देशों की संवैधानिक संरचनाओं के बीच तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करेगा।

मुख्य शब्द: संवाद, संविधान, संशोधन, शुद्ध संविधान, केन्द्राभिमुख, केन्द्राभिमुख, सरकार।

ISSN: 3048-5541Online

परिचय - संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दुनिया के सबसे बड़े, लोकतांत्रिक देश हैं और अपने संघ की संवैधानिक प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करते हैं। डॉ. अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति के दौरान, भारतीय संविधान की कल्पना अमेरिका की तरह दुनिया की कई उत्कृष्ट विशेषताओं के साथ की गई थी, लेकिन इसे भारतीय अर्थ में अपनाया गया था। भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी। अमेरिका और भारत दोनों ही संघीय शासन प्रणाली वाले राज्य हैं, दोनों के बीच कई समानताएं और अंतर हैं। परिसंघ शब्द का अर्थ - परिसंघ शासन की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न विधायी इकाइयों के बीच विभाजित होती है। एक संघ में सरकार के दो स्तर होते हैं। एक पूरे देश की सरकार होती है जो सामान्य राष्ट्रीय हित के कुछ विषयों के लिए जिम्मेदार होती है, जबकि अन्य प्रांतों या राज्यों के स्तर पर सरकारें होती हैं जो अपने राज्य के प्रशासन के अधिकांश दिन-प्रतिदिन के काम करती हैं। 1

एकात्मक और एकात्मक सरकारें केंद्रीय सरकार और उसकी इकाइयों के बीच आपसी संबंधों के अनुसार संगठित होती हैं। शासन की वह प्रणाली जिसमें प्रांतीय सरकार अपने अस्तित्व के लिए केंद्रीय सरकार पर निर्भर होती है, एकात्मक शासन कहलाती है। लेकिन एकात्मक शासन में विभिन्न इकाइयाँ अपने अस्तित्व के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रहती हैं। इसमें संघ और इकाइयों के कार्य क्षेत्र का स्पष्ट विभाजन होता है। एकात्मक और संघीय सरकारों के बीच एक और अंतर यह है कि जहाँ एकात्मक सरकार में सत्ता का संचालन केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, वहीं संघीय सरकार में सत्ता का बंटवारा केंद्र और इकाइयों के बीच होता है। एक राष्ट्र में संवाद एक संवैधानिक संरचना है जो कई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों के परिणामस्वरूप, प्रत्यायोजित शक्तियों और भूमिकाओं के साथ सरकार के दो स्तरों की स्थापना करती है। संवाद एक राष्ट्र के शासन के लिए एक गतिशील सरकारी संरचना है। यह कई स्वतंत्र, अलग और असमान निकायों या प्रशासनिक इकाइयों को एक एकल राजनीतिक इकाई में जोड़ता है। यह एक केंद्रीय बिंदु पर सत्ता के संकेन्द्रण के लिए लड़ने वाली ताकतों और विभिन्न इकाइयों में सत्ता के फैलाव का समर्थन करने वाली ताकतों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार संवाद एकता को बहुलता, केंद्रीकरण को विकेंद्रीकरण और राष्ट्रवाद को स्थानीयता के साथ समेटने का प्रयास करता है।

ISSN: 3048-5541Online

संयुक्त राज्य अमेरिका में संवाद: अमेरिकी संविधान में संवैधानिक व्यवस्था इसकी अभूतपूर्व उपलब्धि है। प्रो. स्ट्रॉन्ग ने कहा है, "संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान दुनिया में सबसे संवैधानिक है।" डॉ. फाइनर ने लिखा है, "आधुनिक राज्यों में संवैधानिकता का सिद्धांत और व्यवहार अमेरिकी संविधान से पुराना नहीं है, जिसका जन्म 1787 में हुआ था।" अमेरिका की वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था से पहले एक राष्ट्रमंडल था, जिसके अनुच्छेद 1871 में अपनाए गए थे। इसके अंतर्गत 13 राज्य थे, जो स्वतंत्र थे और संप्रभुता का आनंद लेते थे। लेकिन, यह राष्ट्रमंडल एक ढीला-ढाला और कठोर संगठन था, जिसके बारे में वुडरो विल्सन ने कहा है कि यह राष्ट्रमंडल रेत की रस्सी की तरह था। यह रस्सी राज्यों को मजबूती से बांध नहीं सकती थी। इसलिए फिलाडेल्फिया सम्मेलन में मौजूद संविधान निर्माताओं ने एक मजबूत और सशक्त राष्ट्रीय सरकार की जरूरत महसूस की। उन्होंने एक संविधान की स्थापना की और आखिरी सत्र में उन्होंने देश के लिए एक संविधान बनाने का फैसला किया।

संघीय सरकार को राष्ट्रमंडल से अधिक शक्तिशाली बनाया। अमेरिकी संविधान का निर्माण आत्मसातीकरण की प्रक्रिया से हुआ, यानी कुछ स्वतंत्र राज्यों ने सामान्य विषयों के प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय सरकार की स्थापना की और उसे कुछ क्षेत्रों में संप्रभुता प्रदान की। ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड के संविधान भी आत्मसातीकरण की प्रक्रिया से ही बने थे। लेकिन, इसके विपरीत कनाडा और भारत के संविधान पृथक्करण की प्रक्रिया से बने थे, यानी इन राज्यों में एकात्मक राज्यों को तोड़कर कुछ स्वतंत्र इकाइयां बनाई गईं और उन्हें कुछ विषय और स्वतंत्र अधिकार क्षेत्र दिए गए। सोवियत रूस का संविधान भी इसी तरह बना था।2 अमेरिकी संविधान में संघीय व्यवस्था के तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जिन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: दोहरी शासन प्रणाली: दोहरी शासन प्रणाली संघीय सरकार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। शुरुआत में अमेरिका में केवल 13 राज्य थे, लेकिन आज इनकी संख्या 50 है। अमेरिकी संविधान एक सतत संघीय संविधान है क्योंकि इसकी संघीय व्यवस्था के स्वरूप को समाप्त नहीं किया जा सकता और न ही किसी राज्य के अस्तित्व को मिटाया जा सकता है। शक्तियों का वितरण: संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत संविधान ने केंद्रीय सरकार और गणराज्यों की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया है। शक्तियों के विभाजन के संबंध में अमेरिकी संविधान के अंतर्गत गणना और शेष का सिद्धांत अपनाया गया है। संविधान के अंतर्गत केंद्र की शक्तियों को लिखा गया है और शेष शक्तियां राज्य सरकार को दी गई हैं।

ISSN: 3048-5541Online

संविधान की सर्वोच्चता: अमेरिका का संविधान लिखित है और यह देश का सर्वोच्च कानून है। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि यह संविधान और इसके अनुसार बनाए गए सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार के तहत बनाई गई या भविष्य में बनाई जाने वाली सभी संधियाँ देश का सर्वोच्च कानून होंगी और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश इसके प्रति आबद्ध होंगे।3 स्वतंत्र न्यायपालिका: संघ और राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है। अमेरिका में केंद्र सरकार को राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करने से बचाने के लिए एक सशक्त और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। मार्बरी बनाम मैडिसन 1803 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक सर्वोच्चता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता यह कहकर स्पष्ट की कि अमेरिकी न्यायालयों के पास उन कानूनों और विनियमों को निरस्त करने का अधिकार है जो उन्हें असंवैधानिक लगते हैं। दोहरी नागरिकता: संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का उल्लंघन

दोहरी नागरिकता को आम तौर पर संघीय व्यवस्था का एक तत्व माना जाता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति केंद्र सरकार के साथ-साथ उस इकाई सरकार का भी नागरिक होगा जिसमें वह रहता है। अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। वहां प्रत्येक व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता होती है, पहली नागरिकता संयुक्त राज्य अमेरिका की, दूसरी उस राज्य की नागरिकता जिसमें वह रहता है।

संघीय विधायिका के दूसरे सदन में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व: संघीय विधायिका के दूसरे सदन में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व रखा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय विधायिका के दूसरे सदन को सीनेट कहा जाता है, जिसमें 100 सदस्य होते हैं और 50 रिपब्लिकन होते हैं। प्रत्येक राज्य से दो सदस्य चुने जाते हैं। सीनेट का गठन राज्य विधायिकाओं द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता था। इस तरह, केंद्र सरकार कुछ हद तक राज्य सरकारों पर निर्भर थी। यह व्यवस्था 1913 तक चलती रही। इस व्यवस्था के बावजूद 1787 से 1913 तक अमेरिका का संविधान संवैधानिक रहा, क्योंकि इसमें संवैधानिक सिद्धांत प्रमुख थे।4 1970 के दशक में अमेरिका नए संवाद की ओर बढ़ा, जिसके कारण अमेरिकी संघीय सरकार शक्तिशाली हो गई। इन तथ्यों के आलोक में सी.सी.वियर ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 'आदर्श संवाद' कहा है।5 भारत में संवाद: भारतीय संदर्भ में संवाद की

ISSN: 3048-5541Online

अवधारणा एक अलग तरह की संवैधानिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं भी 'सम्मेलन' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन भारतीय शासन प्रणाली को संवैधानिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जिस पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग-अलग मत दिए हैं। के.सी. वेहर का मानना है कि भारतीय संविधान मूलतः एकात्मक राज्य है जिसमें संवैधानिक विशेषताएँ नाममात्र की हैं, भारत का संविधान संवैधानिक कम और एकात्मक अधिक है। इसीलिए वेहर ने भारतीय संविधान को 'अर्द्ध-संवैधानिक' संविधान कहा है। बसु का मत है कि भारत का संविधान न तो पूर्णतः एकात्मक है और न ही पूर्णतः संवैधानिक, बल्कि यह दोनों का मिश्रण है। ग्रेनविले ऑस्टिन के अनुसार, भारतीय संविधान एक सहकारी संगठन है।

7 इसी प्रकार मौरिस जोन्स ने भारतीय संविधान को सौदेबाजी वाला संविधान कहा है।8 उपर्युक्त विद्वानों की परिभाषाओं से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान की अवधारणा के संबंध में संवैधानिक व्यवस्था पर भिन्न-भिन्न मत हैं। 1919 में केन्द्रीय सरकार से प्रान्तीय सरकारों को शक्तियां हस्तांतरित कर दी गई थीं। साम्प्रदायिक उन्माद को रोकने तथा देशी राजाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू समिति की रिपोर्ट में संविधान की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। भारत सरकार अधिनियम, 1935 केवल देशी रियासतों के संबंध में संविधान की स्थापना करना चाहता था। प्रान्तों के संबंध में प्रान्तीय स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए केवल शक्तियों के हस्तांतरण की बात की गई थी। यह भी आंशिक था, शेष शक्तियां गवर्नर जनरल के हाथ में थीं। भारतीय रियासतें ब्रिटिश भारत में सम्मिलित नहीं हुईं तथा संघीय योजना प्रारंभ नहीं हो सकी।

भारत क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा है तथा विविधताओं से भरा हुआ है, ऐसी स्थिति में भारत के लिए संघीय शासन प्रणाली को अपनाना स्वाभाविक था तथा भारतीय संविधान द्वारा यही किया गया है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि "भारत राज्यों का संघ होगा।" लेकिन संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को अपनाते हुए भारतीय संघीय व्यवस्था की कमज़ोरियों को दूर रखने का प्रयास किया और इसी कारण भारत की संघीय सरकार में एकात्मक सरकार की कुछ विशेषताओं को अपनाया गया है। वस्तुतः भारतीय संविधान में संघीय सरकार की विशेषताएँ प्रमुख रूप से विद्यमान हैं तथा एकात्मक सरकार की विशेषताएँ गौण रूप में विद्यमान हैं।

ISSN: 3048-5541Online

भारतीय संविधान की सकारात्मक विशेषताएँ:

भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में सकारात्मक शासन की निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं:

संविधान की सर्वोच्चता: भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। इस संविधान के प्रावधान केंद्र सरकार तथा सभी राज्य सरकारों पर बाध्यकारी हैं तथा किसी भी सरकार द्वारा इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इस देश में कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे व्यापक संविधान है। संविधान के मूल स्वरूप में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थीं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 तथा स्विटजरलैंड के संविधान में 123 अनुच्छेद हैं। संविधान के माध्यम से केन्द्र सरकार तथा इकाइयों की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन: विश्व के अन्य संविधानों की भांति भारतीय संविधान में भी संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान सूची में 97 विषय हैं, जिनमें से लगभग सभी राष्ट्रीय महत्व के हैं। इस सूची में वर्णित लगभग सभी विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति संसद को है। राज्य सूची में विषयों की संख्या 66 है, ये विषय सामान्य परिस्थितियों में राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों को दिया गया है। 9. लिखित एवं कठोर संविधान: भारतीय संविधान लिखित संविधान है तथा संविधान में संशोधन की दृष्टि से कठोर भी है, क्योंकि साधारण कानून बनाने की पद्धति के आधार पर इस संविधान में परिवर्तन किए जा सकते हैं। संविधान के जो प्रावधान संवैधानिक सूची में हैं, वे संघ सरकार पर लागू नहीं होते।

ISSN: 3048-5541Online

संविधान संशोधन की पहली प्रक्रिया (संसद के बहुमत द्वारा संशोधन) संविधान की परिवर्तनशीलता का संकेत है, जबकि अन्य दो प्रक्रियाएँ (संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन तथा संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की स्वीकृति) संविधान की घातक परिवर्तनशीलता को दर्शाती हैं।

भारतीय संविधान में संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है। इसमें संसद या राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पारित किसी भी कानून को अवैध घोषित करने की शक्ति है, जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है।10 एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994 के निर्णय में भारतीय संवाद का समर्थन किया गया है। संविधान के उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करता है। इन विशेषताओं के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान को संवैधानिक कहा है।

तुलनात्मक विश्लेषण: संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों में लोकतांत्रिक संवैधानिकता है। भारत और अमेरिका दोनों में दोहरी सरकार पाई जाती है। अमेरिका 1789 ई. में अपना संविधान लागू करके संघीय गणराज्य बन गया, जबकि भारत औपचारिक रूप से 1950 में गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। भारत में राज्यों का प्रतिनिधित्व आनुपातिक रूप से है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। अमेरिकी संविधान संकट के समय अपना स्वरूप नहीं बदल सकता, जबकि भारतीय संविधान देश की सुरक्षा के लिए परिस्थितियों के अनुसार अपना स्वरूप बदल सकता है। इसका अर्थ यह है कि अमेरिकी संविधान पूरी तरह से संघीय है, जबकि भारतीय संविधान अर्ध-संवैधानिक है। निष्कर्ष - अमेरिका और भारत की संचार संरचनाएँ कुछ हद तक भिन्न हैं, लेकिन दोनों संरचनाओं ने अलग-अलग इतिहास और चुनौतियों के साथ प्रभावी ढंग से प्रदर्शन किया है। कुछ संचार विशेषताएँ अमेरिका और भारत दोनों में समान हैं, जबकि कई क्षेत्रों में अंतर हैं। लेकिन अमेरिकी और भारतीय संचार दोनों बहुत लोकप्रिय हैं और कुछ बाधाओं के बावजूद दोनों सफल रहे हैं।

ISSN: 3048-5541Online

संदर्भ

गेना, सी.बी. - तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक संस्थाएँ, विकास फिलिंग हाउस, तीसरा पुनर्मुद्रण 2003, पृ.511.

राय, गांधीजी - तुलनात्मक सरकार और राजनीति, भारती भवन, पटना - 2007, पृ.158

प्रसाद, वीरकेश्वर - तुलनात्मक सरकार और राजनीति, 2012, पृ.110-111

पांडेय, जय नारायण - भारत का संविधान, केंद्रीय विधि एजेंसी, इलाहाबाद - 2020, पृ.29

राय, गांधीजी - तुलनात्मक सरकार और राजनीति, भारती भवन, पटना - 2007, पृ.159-160

बसु, डी.डी. - भारत का संविधान - एक परिचय, दसवां संस्करण, लेक्सिस नेक्सिस, 2013, पृ.74

ऑस्टिन, ग्रेनविले - भारतीय संविधान, 1966, पृ. 187

मौरिस जोन्स, डब्ल्यू.एच.: भारत की सरकार और राजनीति (लंदन, 1971), पृष्ठ 150

भारत का संविधान, नौवां संस्करण, सेंट्रल लॉ एप्लीकेशन, इलाहाबाद, 2015, पृष्ठ 311-325

शर्मा, ब्रजकिशोर: भारत का संविधान, एक परिचय, दसवां संस्करण, पीएचआई लर्निंग, 2014, पृष्ठ 39